BSES

फैक्ट्री मालिक को बिजली चोरी में 1 साल की सश्रम कैद

मोबाइल फोन बना आरोपी के जी का जंजाल

- फैक्ट्री मालिक दावा कर रहा था कि उसका बिजली चोरी से कोई लेना देना नहीं, और न ही बिजली चोरी वाली जगह से उसका कोई ताल्लुक है। लेकिन, उसके मोबाइल नंबर ने खोला राज
- संबंधित मोबाइल फोन कंपनी से कहा गया कि वह आरोपी के मोबाइल नंबर से जुड़े कागजात उपलब्ध कराए
- इन कागजात से पता चला कि 2003 में फोन लेते वक्त आरोपी ने पते के तौर पर उसी स्थान का जिक किया था, जहां बिजली की चोरी पकड़ी गई थी
- साथ ही, उसने अपने चुनाव पहचान पत्र की कॉपी भी वहां जमा कराई थी
- फोन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों से मिली आरोपी को सजा दिलवाने में मदद

नई दिल्ली: 9 सितंबर, 2008। द्वारका में एक नामी फैक्ट्री के मालिक निहाल सिंह यादव को विकासपुरी स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के जुर्म में 1 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह एक अनोखा मामला है, जिसमें एक नामी मोबाइल फोन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात की मदद से आरोपी को सजा दिलाई जा सकी।

दरअसल, अप्रैल, 2005 में बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने द्वारका में निहाल सिंह यादव की स्टील फैब्रिकेशन यूनिट पर छापा मारा और 5.3 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी। वहां बीएसईएस के तारों पर कटिया डाल कर बिजली चोरी की जा रही थी। भारतीय बिजली कानून, 2003 के प्रावधानों के मुताबिक, यादव पर 2. 36 लाख रूपये का जुर्माना किया गया। इसके बाद, बिजली कानून की धारा 135 के तहत उस पर स्पेशल कोर्ट में बिजली चोरी का मुकदमा किया गया।

स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को सशर्त जमानत दी, लेकिन इसके लिए उसे बीएसईएस राजधानी के पास 50 हजार रूपये जमा कराने पड़े। पूरे मामले के दौरान आरोपी ने कोर्ट में अपना यह रूख बरकरार रखा कि उसका इस बिजली चोरी से कोई लेना–देना नहीं है और साथ ही, जिस जगह पर बिजली चोरी की बात बीएसईएस कह रही है, उस जगह से भी उसका कोई संबंध नहीं है।

लेकिन मामले में रोचक मोड़ तब आया, जब बीआरपीएल एन्फोर्समेंट टीम को आरोपी के मोबाइल नंबर का पता चला। जांच में पता चला कि यह मोबाइल नंबर यादव का ही है। इस मोबाइल नंबर को बीएसईएस ने आरोपी को गुनहगार साबित करने की सीढ़ी के रूप में लिया, और स्पेशल कोर्ट से अनुरोध किया कि इस मोबाइल नंबर के रेकॉर्ड्स संबंधित मोबाइल फोन कंपनी से मंगवाए जाएं।

इसके बाद फोन कंपनी के अधिकारी से कहा गया कि इस मोबाइल नंबर के वास्तविक मालिक के असली आवेदन पत्र– जो कि आवेदक ने मोबाइल नंबर लेते वक्त फोन कंपनी में जमा करवाए थे– को कोर्ट के समक्ष रखा जाए, ताकि आरोपी की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

मोबाइल फोन कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजात के आधार पर यह साफ हो गया कि आरोपी यादव के उस स्थान से सीधे संबंध हैं, जहां बिजली चोरी हो रही थी। आरोपी नें इस फोन कंपनी से 2003 में मोबाइल का कनेक्शन लिया था और इसके लिए पते के तौर पर उसी जगह का जिक किया था, जहां बिजली चोरी पकड़ी गई। आरोपी ने अपने चुनाव पहचान पत्र की फोटो कॉपी भी आवेदन पत्र के साथ फोन कंपनी को दी थी।

जहिर है, अब तक यह बात साफ हो चुकी थी कि बिजली चोरी वाले स्थान का असली मालिक यादव ही है और वही इस बिजली चोरी में शामिल है। 4 प्रत्यक्षदर्शियों ने भी कोर्ट को बताया कि हालांकि यादव उस वक्त फैक्ट्री मे मौजूद नहीं था जिस वक्त वहां बीएसईएस का छापा पड़ा था, लेकिन फैक्ट्री उसी की है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, स्पेशल कोर्ट ने आरोपी निहाल सिंह यादव को 1 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई और जेल भेज दिया।

'वायर वर्क्स' निर्माता को भी जेल

उधर, एक अन्य मामले में पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने "वायर वर्क्स" के निर्माता भीमा को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। नवंबर, 2007 में बीवाईपीएल एन्फोर्समेंट टीम ने भीमा को 29 किलोवॉट बिजली की चोरी करते हुए पकड़ा था। बिजली कानून, 2003 के प्रवधानों के अनुसार आरोपी पर 8.5 लाख रूपये का जुर्माना किया गया, लेकिन उसने तय समयसीमा के भीतर जुर्माने की रकम अदा नहीं की। इसके बाद बीएसईएस मामले को स्पेशल कोर्ट में ले गई।

दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304